बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि ११ नवम्बर १९५७ को पूर्वाह्न ११ बजे में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

स्थगन प्रस्ताव :

Adjournment Motion :

गंगा में महेन्द्रू और पहलेजा घाट के बीच जहाज के विस्थापित होने के कारण यात्रियों को असुविधा।

INCONVENIENCES TO THE TRAVELLING PUBLIC DUE TO THE DISLOCATION OF STEAMER SERVICE BETWEEN MAHENDRU AND PAHLEZA GHAT IN THE GANGES.

अध्यक्ष—आज कई काम-रोको प्रस्ताव हैं, एक श्री बासदेव प्रसाद सिंह का है जिसे में नामंजूर करता हूं।

श्री दारोगा प्रसाद राय—किस कारण से ?

अध्यक्ष—मैंने कई बार बता दिया है कि कारण देने के लिये मैं बाध्य नहीं किया जा सकता हूं।

श्री दारोगा प्रसाद राय—कम से कम विषय की जानकारी हमलोगों को हो जाती।

अध्यक्ष—दूसरा प्रस्ताव है फेरी सर्विस के बारे में श्री कर्पूरी ठाकुर का।

*श्री कर्पूरी ठाकुर—मैंने जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव पेश किया है, वह यह है कि पिछले दो महीनों से पटना और पहलेजा घाट के बीच जो स्टीमर सर्विस चलती है उसकी ऐसी हालत हो गई है कि कोई भी गाड़ी ठीक समय पर आती जाती नहीं है जिससे मुसाफिरों को इस पार से उस पार आने जाने में परेशानी उठानी पड़ती है और उनका प्रोग्राम फेल (असफल) हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो-दो, चार-चार घंटे तक स्टीमर को गंगा में ही रह जाना पड़ता है जिससे हजारों मुसाफिरों को असुविधा होती है। मैं समझता हूं कि सरकार भी इससे अवगत है और इस बात को सभी जानते हैं कि पिछले दो महीनों से ऐसी असुविधा हो रही है। स्टीमर सर्विस का डिसलोकेशन (विस्थापन) होने से केवल मुसाफिरों को ही नहीं बल्कि डाक इत्यादि के कामों में भी काफी असुविधा हो गयी है। सरकार को अपनी जवाबदेही समझनी चाहिये जिससे कि स्टीमर सर्विस ठीक वक्त पर चले या नहीं तो पोनटुन ब्रिज की व्यवस्था करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आपको यह पता होगा कि पिछले विधान-सभा के वक्त में ....

अध्यक्ष—इसको आप कई दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टीमर सर्विस में सुधार हो तो यह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) की चीज है।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक।

Legislative Business : Official Bills.

बिहार ऑफिशियल लैंग्वेज (अमेंडमेंट) बिल, १९५७ (१९५७ की बि० सं० ८)।

THE BIHAR OFFICIAL LANGUAGE (AMENDMENT) BILL, 1957 (BILL NO. 8 OF 1957.

श्री भुपेन्द्र नारायण मंडल—अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री ने सभा के समक्ष रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। यह विधान पास हुए आज कितने वर्ष हो गये और जब देश की राष्ट्रभाषा भी हिन्दी हो गयी तब भी इतने अर्से के बाद भी इस तरह का प्रस्ताव लाने से हमारे जानते जानबूझ कर इस सवाल को टालने की कोशिश हो रही है। हमारे जानते हमारी सरकार को अंग्रेजी भाषा से इतनी मुहब्बत हो गयी है कि अब उसे छोड़ते हुए मोह मालूम पड़ रहा है। इस संबंध में जापान में हुई, एक घटना की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। जापान के किनारे अमेरिकन फौज आयी और वहां पर बहुत गोलाबारी की। इससे जापानी लोग बहुत ही लज्जित हुए और मजबूर होकर उनको पश्चिमी सभ्यता की कुछ चीजों को अपनाना पड़ा। जापान के नवयुवक दूसरे देशों में पढ़ने के लिये भेजे गये और वे लोग वहां से विज्ञान और टेक्निकल विद्या अंग्रेजी भाषा में पढ़ और सीख कर आये। जब वे अपने देश में लौट कर आये तब वहां पर भी यह सवाल उठा कि जापान में विज्ञान और टेक्निकल विद्या को वहां के विद्यार्थियों को किस तरह से पढ़ाया जाय। अंग्रेजी भाषा की किताबों को जापानी भाषा में उल्था कराया जाय तब पढ़ाई चालू हो या क्या किया जाय। इस पर वहां की सरकार ने यह फैसला किया कि पढ़ाई तो जापानी भाषा में हो और टेक्निकल शब्द को अंग्रेजी भाषा में ही रखा जाय और जैसे-जैसे इन टेक्निकल शब्दों का उल्था जापानी भाषा में होता जाय वैसे-वैसे उनको बदला जाय या उन्हीं अंग्रेजी शब्दों को ही जापानी भाषा में अपना लिया जाय और इस तरह से जापानी भाषा में ही विज्ञान और टेक्निकल विद्या की शिक्षा होने लगी। इसी तरह से मेरा भी यह सुझाव है कि तुरंत ही हिन्दी भाषा में सभी काम चालू हो जांय और कचहरियों और सभी सरकारी महकमों का काम हिन्दी में होने लगे। अगर कोई अंग्रेजी शब्द का पर्यायवाची शब्द आसानी से हिन्दी में न मिले तो अंग्रेजी शब्द को ही रख कर काम चलाया जाय और उन्हीं शब्दों को हिन्दी में अपना लिया जाय। हमारी हिन्दी भाषा एक जीवित भाषा है और इसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को आसानी से खपाया जा सकता है। इसी सुझाव के साथ सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह हिन्दी भाषा में अपना सभी काम चालू कर दे और जो प्रस्ताव सभा के सामने लाया गया है उसका विरोध मैं इन्हीं शब्दों के साथ करता हूं।

*श्री रामानंद सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रस्ताव हाउस (सदन) के सामने लाया गया है उससे कचहरियों और सरकारी महकमों का काम जो हिन्दी भाषा में होनेवाला था उसकी अवधि को और तीन वर्ष बढ़ाया जानेवाला है। इस हाउस (सदन) ने बहुत दिन पहले ही एक बिल पास करके यह फैसला कर दिया था कि सरकार का सभी काम इस साल से हिन्दी में होने लगेगा लेकिन इस फैसले को कारगर करने के लिये सरकार की ओर से कोई कारवाई नहीं हुई है जिसमें कचहरियों और सरकारी महकमों का

काम हिन्दी में होने लगे। ऐसी हालत में जो प्रस्ताव सभा के सामने लाया गया है वह एक बहुत ही अहम् और दुख का प्रस्ताव है और इससे यही मालूम होता है कि सरकार इस ओर सचेष्ट नहीं है और न ईमानदारी से इस ओर काम करना चाहती है। मैं आपके सामने यह बात रख देना चाहता हूं कि केवल इसी स्टेट (राज्य) में यह सवाल नहीं है बल्कि दूसरे राज्यों की सरकारों के सामने भी यह सवाल है। अब यह देखना है कि कौन स्टेट या राज्य सबसे पहले इस चीज को अपने हाथ में लेता है और अपना सब काम हिन्दी भाषा में करने लगता है। हमारा राज्य को हिन्दी भाषाभाषी होने से सबसे पहले ही अपने सब काम को हिन्दी में करने का काम शुरू कर देना चाहिये था।

आप आज कहते हैं कि बिहार में हिन्दी को राज्य के कार्य इस्तेमाल के लिए तीन वर्ष की अवधि और बढ़ा दी जाय तो आप ही सोचें कि मद्रास वाले और दूसरे प्रान्त वाले, जो हिन्दी भाषाभाषी प्रान्त नहीं हैं, कितने दिनों की अवधि और चाहेंगे। इसलिए बिहार राज्य का यह फर्ज था कि जब संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान लिया है तो हिन्दी को राज्य भाषा में प्रयोग करने की शुरूआत बिहार से ही होनी चाहिए। जब यहां के कांग्रेस के नेता और इस हाउस (सदन) के चीफ मिनिस्टर (मुख्य मंत्री) डा० श्रीकृष्ण सिंह हैं और वे हिन्दी के प्रेमी हैं तो उनके रेजीम में इस तरह हिन्दी की उपेक्षा करना शोभा नहीं देता है। हिन्दी को राज्य के कार्य में पूर्ण रूप से व्यवहार न होने में दो बातों का तर्क दिया जाता है। एक तर्क यह है कि औफिशियल्स लोग अभी पूर्ण रूप से हिन्दी नहीं जानने पाये हैं और दूसरा तर्क यह है कि अभी बहुत से शब्द नहीं बन सके हैं।

अध्यक्ष—क्या आपको इसकी जानकारी है कि नहीं जब अंग्रेजों ने यहां अंग्रेजी भाषा को चालू किया था तो उस समय सभी अंग्रेजी नहीं जानते थे ?

श्री रामानन्द सिंह—उस समय तो अंग्रेजों का राज्य था, लेकिन मैं अभी श्री बाबू को या उनके राज्य को अंग्रेजों का राज्य मान लूं और मैं उसके राज्य से इनके राज्य की तुलना करूं, यह मेरे लिए ठीक नहीं मालूम होता है और मैं अंग्रेजी राज्य का मुकाबला श्री बाबू के राज्य से नहीं करना चाहता हूं। तो मेरा कहना यह है कि यह कहा जाता है कि आफिशियल्स लोगों को अभी हिन्दी में काम करने में कठिनाई है, लेकिन एक या दो दर्जन आफिसर्स के चलते करोड़ों जनता को लाभ उठाने से वंचित कर दें, यह ठीक नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सिर्फ एक या दो दर्जन ही आफिसर्स का ख्याल रख कर ही इसकी अवधि बढ़ायी जा रही है। देहात में इस बात की चर्चा सभी जगह है कि बिहार राज्य में मिनिस्टरों (मंत्रियों) की हुकूमत नहीं है, बल्कि यहां नौकरशाही की हुकूमत पर ही सब कुछ होता है। दूसरी बात यह है कि गैलरी के वास्ते "दीर्घा" शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग तो गैलरी शब्द को ही समझते हैं, लेकिन दीर्घा शब्द को नहीं समझते हैं। इसलिए ऐसे शब्द को जो प्रचलित हैं और सभी कोई जानते हैं वे शब्द अगर अंग्रेजी ही क्यों न हों उन्हें हिन्दी शब्द मान लिया जाय तो उससे काम चल जा सकता है और ऐसा करने से लोगों को भी समझने में सहूलियत होगी। इसलिए यहां की सरकार को यह काम करना चाहिये कि बिहार में ही सबसे पहले यानी सब राज्यों से पहले हिन्दी का इस्तेमाल पूर्ण रूप से राज्य भाषा के माध्यम से शुरू कर दे और इसका व्यवहार कचहरियों, सरकारी कार्यालयों में होने लगे। लेकिन सरकार का कार्य एक ही जगह रुका हुआ है और वह यह है कि पहले तैरने के लिए तैरना ही सीखा जाय या पानी में उतर कर तैरना

सीखा जाए। तो हमारी हुकूमत यह चाहती है कि पहले तैरना ही सीख लें और तब पानी में उतरें। जो समस्या आज है वही समस्या तीन वर्ष के बाद भी रहेगी। ऐसा नहीं हो जायेगा कि तीन वर्षों में लोग हिन्दी के पारंगत हो जायेंगे और हिन्दी में कार्य अच्छी तरह से करने लगेंगे। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने प्रस्ताव को वापस कर लें ताकि बिहार राज्य के मुंह में कालिख न लगे।

श्री रामचरित्र सिंह—मुंह में कालिख लगने की बात अनपार्लियामेंटरी (असांसद) है, और इसे वापस कर लेना चाहिए।

श्री रामानन्द सिंह—मैं इसे वापस कर लेता हूं।

श्री गंगानाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह प्रस्ताव है कि हिन्दी को राज्य के कार्य में पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने के लिए तीन वर्ष की अवधि और बढ़ा दी जाय। इस सिलसिले में एक बहुत सीधा और सरल तथ्य है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठेठ भोजपुरी में एक बीमारी का नाम है पीयरी। यह पीयरी बीमारी जिस आदमी को पकड़ लेता है वह १०-१२ वर्ष तक बीमार रहता है। पर वह घर का सब काम-धंधा कर सकता है, खाना-पीना सब कुछ खाता है, बिछावन पर पड़ा नहीं रहता है, लेकिन वह इस बीमारी से आक्रान्त जरूर रहता है। मनुष्य को जब १०० डिगरी बुखार हो जाता है तो उसे डाक्टर बुलाने की या दवा कराने की जरूरत होती है, और उसका इलाज होता है। हिन्दी के व्यवहार के सिलसिले में भी यही बात है। जिस दिन हिन्दी के व्यवहार करने का निश्चय किया गया उसी दिन से इसके व्यवहार की ओर प्रयास नहीं किया गया। मन सबका रहा कि हिन्दी का व्यवहार सरकारी कामों में हो, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट (विभाग) की उंगली इस सिलसिले में गतिशील नहीं हुई। आज जब तीन साल की अवधि और बढ़ायी जाती है तो आप निश्चय जान रखें कि तीन साल की अवधि गुजर जाने पर भी स्थिति ज्यों की त्यों ही रहेगी। हमें भय है कि तीन साल के बाद फिर आप तीन साल की और अवधि मांगें। इसलिए मैं सरकार को यह राय दूंगा कि हिन्दी को सरकारी काम में व्यवहार करने का जो प्रस्ताव है उसे १०३ डिग्री बुखार समझ कर इलाज करें। ऐसा करने से नतीजा यह होगा कि जिसको आप आज कठिन बात समझते हैं वह आप से आप हल हो जायेगा। इस सिलसिले में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। यू० पी० के कांग्रेस मिनिस्ट्री के एक उच्च कोटि के व्यक्ति का लड़का, चन्द वर्ष हुए, इलाहाबाद में बीमार पड़ा था। डाक्टर ने बताया कि उसे परवल की तरकारी पथ्य देना चाहिए और तब जाकर उसकी बीमारी अच्छी होगी। इलाहाबाद में कहीं भी परवल नहीं मिला तो हवाई जहाज से आदमी बिहार में भेजा गया और खोजवाकर परवल यहां से मंगाया गया। तो गरज पड़ने पर आदमी सब कुछ कर सकता है। यही बात हिन्दी के व्यवहार की भी है। हिन्दी के व्यवहार में अभी कठिनाई है, लेकिन इसका व्यवहार शुरू कर देने पर यह कठिनाई आप से आप हल हो जायेगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह अतिशीघ्र हिन्दी का व्यवहार राज्य के कार्यों में शुरू कर दे और सरकार को यह देख कर खुशी होगी कि हिन्दी सम्बन्धी कठिनाइयां आप से आप दूर हो गईं।

*श्री शिव महादेव प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, आगामी २६ नवम्बर १९५७ के बाद से हिन्दी माध्यम रखकर सभी सरकारी कामों के चलाने की जो अवधि रखी गई थी इस

अवधि को तीन बरस और बढ़ाने के लिये जो बिल सदन के सामने लाया गया है मैं इसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो विदेशी भाषा है और जिसके जानने में साधारणतः सभी व्यक्तियों को कठिनाई होती है। सरकार की ओर से अगर एक चिट्ठी किसी दिहात में अंग्रेजी भाषा में जाती है तो उसको पढ़वाने के लिये दूसरे लोगों को खोजना पड़ता है। यदि यह चिट्ठी सरकार के यहां से हिन्दी में जाय तो साधारण से साधारण कोटि के ग्रामीण भी अच्छी तरह समझ सकते हैं इसलिये कि यह उनकी मातृ-भाषा है। हमारे माननीय मंत्री साहब ने कहा है कि अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कोर्ट में व्यवहार होता है और उनका कुछ अर्थ रहता है। अगर उनको अच्छी और उचित हिन्दी नहीं होगी तो उनका अनर्थ हो जा सकता है और कानूनदां लोग कानून के पचड़े में डालकर उनका दूसरा मतलब लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा तो विचार है और मैं आपके जरिये सदन के सामने इस विचार को रखना चाहता हूं कि कानूनी अड़चन को तो ऐसे अंग्रेजी शब्द जिनमें यह अड़चन हो उन्हें रहने दिया जाय ताकि इससे हानि नहीं पहुंचे लेकिन और दूसरे काम अगर हिन्दी में हों तो इसमें कौन-सी हानि होगी। मुझ से पहले के व्यक्ति ने बतलाया है कि यदि ऐसे अंग्रेजी के शब्द हैं जिनका हिन्दी में व्यवहार करने में कठिनाई होती है तो उन्हें अंग्रेजी ही में व्यवहार कर सकते हैं। आज से पहले आप जानते हैं कि पुलिस के लोग जब कोई रिपोर्ट लिखते थे तो रोमन में लिखते थे और हिन्दी शब्द का व्यवहार करते थे। इसी तरह से अंग्रेजी के शब्दों को भी हिन्दी अक्षर में लिखा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, विहार ऐसे प्रान्त में जहां की मातृ-भाषा हिन्दी है और सभी लोग हिन्दी बोलते हैं यदि हिन्दी में सरकारी कामों के होने में कठिनाई होती है तो दूसरे प्रान्तों की बात क्या कही जाय। दूसरे प्रान्त के लोग यही कहेंगे कि हिन्दी ऐसी कड़वी चीज है कि खुद विहार के लोग जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी है और जो हिन्दी बोलते और सब कुछ हिन्दी में करते हैं वे सरकारी कामों को हिन्दी में संभाल नहीं सके या सरकार के लोग यहां ऐसे हैं जो हिन्दी का व्यवहार करने में योग्य नहीं हैं। इसलिये मैं आपके जरिये सदन से और खासकर चीफ मिनिस्टर साहब (मुख्य मंत्री महोदय) से आग्रह करूंगा कि २९ के बाद ३० तारीख भी वे नहीं होने दें और ऐसी आज्ञा दें कि ३० तारीख से जो भी कार्य हों वे हिन्दी में हों और अंग्रेजी में नहीं हों। अगर कानूनी मामले में कठिनाई हो तो कानून की बात छोड़कर और दूसरे सभी कामों में हिन्दी का व्यवहार किया जाय तो बहुत सुन्दर होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हो सकता है कि हम-लोगों की हिन्दी की हालत और बुरी हो जाय। आज मैट्रिक तक पढ़े-लिखे लोगों की क्या हालत है। मैट्रिक तक पढ़े-लिखे लोग एक चिट्ठी अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं और सुन्दर ढंग से अंग्रेजी में काम नहीं कर सकते हैं लेकिन एक मिडिल तक पढ़ा हुआ व्यक्ति अपना सभी काम हिन्दी में अच्छी तरह से कर सकता है।

ऐसी हालत में जो हमारे नवजवान मैट्रिक पास किए हुए हैं और हिन्दी की यही हालत रही कि हिन्दी के द्वारा चिट्ठी-पत्री या सरकारी काम-कार्य न किए जायं तो नतीजा यह होगा कि मैट्रिक तक पढ़े लोग बेकार होंगे और उनकी यह हालत होगी कि कुछ वर्षों के बाद जब हिन्दी का जमाना होगा, सरकारी काम-काज हिन्दी में होने लगेंगे तब तक उनकी उम्र बीत जायगी और वे सरकारी नौकरी से वंचित कर दिए जायंगे। ऐसी दशा में यदि सरकार ऐसा करना चाहेगी तो उससे सुन्दर होगा कि जिस प्रकार अंग्रेजी का माध्यम था उसी को रखे होते तो मैट्रिक पास लोगों का गुजारा हो सकता

था। कानूनी बातों को छोड़ कर जहां अंग्रेजी से हिन्दी करने में पचड़ा है वहां हिन्दी की जाय। यदि हिन्दी का व्यवहार नहीं होगा तो विहार प्रान्त का भविष्य इतना सुन्दर नहीं होगा, हिन्दी की हालत रद्दी होगी और हिन्दी की ओर लोगों का झुकाव नहीं होगा। आपको हिन्दी की रक्षा करनी है। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि सरकार किसी भी प्रकार से कोशिश करती रहेगी कि हिन्दी की उन्नति न हो तो हो सकता है कि आप आज इसे रोक दें, कल रोक दें लेकिन एक दिन आयगा जब हिन्दी का भविष्य उज्जवल होगा। आपके राज्य में हिन्दी लाने में इस प्रकार की रुकावट हो, यह बड़े दुख की बात है। जब बिहार केसरी का नाम आता है कि वे हिन्दी के रक्षक हैं तो रक्षक होते हुए भी इस प्रकार का कानून बनावें यह सुन्दर नहीं है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि जल्द से जल्द यह जो बिल रखा गया है, जिसमें है कि अंग्रेजी में काम करने के लिए तीन वर्ष और बढ़ाया जाय, लौटा लिया जाय और ३० तारीख से सारे के सारे काम बिहार सरकार के, कानूनी अड़चनों को छोड़ कर, जिनमें बड़े-बड़े पचड़े हैं, हिन्दी में हों। यही मेरा अनुरोध है।

*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि हिन्दी की प्रगति में बाधा उपस्थित हो रही है, कि तीन वर्ष के लिए आंगल भाषा की ही प्रधानता दी जाती। आज सारे हिन्दुस्तान में राष्ट्र भाषा हिन्दी हो चुकी है उस हालत में कोई संस्था काम करने के लिए प्रस्तुत होता है तो तीन चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, साधक, साधना और साध्य। विहार प्रान्त में, हर आफिस में, हर जगह हिन्दी की प्रगति के लिये हिन्दी में कारवाई करना बहुत जल्द प्रारम्भ कर दिया जाय तो कोई नुकसानी नहीं होगी क्योंकि तीनों चीजें बिहार में हैं। यहां बहुत लोग हिन्दी जानते हैं। हां, बिहार में ही कुछ बंगाली और मद्रासी तुऐसे हैं जिनको हिन्दी में काम करने में कुछ कठिनाई उपस्थित होती है, लेकिन थोड़े से लोगों को सुविधा देने के लिए, इस प्रान्त की चार करोड़ जनता के लिए हिन्दी की प्रगति रोकी जाय, यह ठीक नहीं है। उसकी प्रगति को रोक देने से मैं समझता हूं कि बिहार प्रान्त को कोई फायदा नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री से अपील करता हूं कि तीन वर्ष की अवधि इसके लिए जो वे मांगते हैं उसे वे वापस ले लें।

श्री हरिवंश नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि जिन कठिनाइयों को मुख्य मंत्री ने रखा है हिन्दी के लागू करने में, मैं मानता हूं कि बहुत दूर तक वे ठीक ही हैं। चाहे जब कभी भी हम हिन्दी को लागू करेंगे ये कठिनाइयां उठेंगी ही और उनका सामना करना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं कि १९६० में भी यही बातें होंगी। वही दलील हमारे सामने रखे जायंगे जो आज रखे जा रहे हैं। बेहतर यह होता कि जहां तक सम्भव होता हिन्दी में काम शुरू किया जाता और जहां दिक्कत होती वहां छूट देते अंग्रेजी व्यवहार करने का। ऐसा नहीं किया जा रहा है और इसलिए १९६० में भी यही बातें दुहराई जायेंगी जिनको आज कहा जा रहा है। जिस समय अंग्रेज यहां आए थे उस समय सभी लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे तो भी अंग्रेजी राजभाषा मानी गयी और अंग्रेजी में ही काम चलाया गया और सब काम हुआ। बिहार में यह दिक्कत नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हिन्दुस्तान ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा मान लिया। आप जानते होंगे कि दक्षिण भारत में बहुत बड़ा आन्दोलन चल रहा है कि अंग्रेजी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में रखा जाय। विधान ने १९६५ तक भारत में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने

का निश्चय किया है। १९६५ तक हिन्दी हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हो जायगी। लेकिन बिहार प्रान्त में जहां के लोग हिन्दी भाषा-भाषा हैं वे यह कहें कि हम १९६० में अंग्रेजी से हिन्दी करेंगे तब तो दक्षिण के लोगों का यह कहना कि अंग्रेजी रहे, गलत न होगा। ऐसा कह कर उनको तो हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको तो यह कह रहे हैं कि तुम जो कहते हो, ठीक है। जब हम हिन्दी बोलने वाले, १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्त कर १९६० में हिन्दी करने जा रहे हैं तो १९६५ में दक्षिणवाले अंग्रेजी से हिन्दी नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि बिहार की यह नैतिक जवाबदेही है कि वह हिन्दी को शीघ्र काम में लाकर दक्षिण भारत का नेतृत्व दे। यह कानून वाजिब ढंग से नहीं लाया गया है। यह कानून न लाकर जहां कठिनाई हो वहां अंग्रेजी में काम करने की छूट देकर काम चला सकते थे। आप जानते हैं लोगों को अंग्रेजी में काम करने की आदत पड़ी हुई है, उनको आज कहा जाय, १९६० में कहा जाय या १९९० में कहा जाय उनको एक बार दिक्कत होगी ही क्योंकि उनको अंग्रेजी में काम करने की आदत हो गयी है। उनको कभी भी यह कठिनाई होगी ही। जिस समय मैट्रिक, आई० ए०, या बी० ए० में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई प्रारम्भ हुआ था, उस वक्त हिन्दी में किताबें नहीं थीं, शिक्षक लोग तर्जुमा करके पढ़ाते थे, अब कोई कठिनाई नहीं है किताबें भी छप गयी हैं, हिन्दी में किताबों की कोई कमी नहीं रह गई है। आज अंग्रेजी से हिन्दी में तर्जुमा करके पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रह गई है लेकिन प्रारम्भ में कठिनाई हुई। इसी तरह मुझे विश्वास है कि अगर हिन्दी को लागू कर दिया जाता तो अबतक कोई कठिनाई नहीं रह जाती। इस बिल के जरिए जो १९६० तक समय निर्धारित किया जा रहा है यह गलत है। उस समय भी यही सवाल होगा कि टाइपराइटर की कमी है, हमारे अफसर हिन्दी में नोट नहीं दे सकते हैं इत्यादि। मेरा विश्वास है कि अगर हम इस पर विचार करके हिन्दी लागू कर दिया जाय तो साल भर या ६ महीने में सब दिक्कतें खत्म हो जायंगी।

अध्यक्ष—अभी जो सवाल उठाया गया है कि विद्यालय में जो पढ़ाई होती है उसमें हिन्दी माध्यम है। तो फिर वह भी बदलना है क्या?

श्री हरिवंश नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब वह नहीं है। कल इंडियन नेशन अखबार में किसी आई० ए० पास लड़के ने अंग्रेजी में एक चिट्ठी लिखी थी वह छपा था। अंग्रेजी की क्या हालत है। मुझे भी अपना अनुभव है, मैं कालेज का सेक्रेटरी हूं। अंग्रेजी के प्रोफेसर के लिए दर्खास्त मांगी गयी थी। अंग्रेजी के प्राध्यापक के लिए अनेक आवेदन आए थे, अंग्रेजी भाषा में ही।

गवर्निंग बडी के एक सदस्य ने अंग्रेजी के प्रोफेसर के उम्मीदवार से कहा कि अपनी दर्खास्त को मिहरबानी करके ठीक करके दीजिये और उसमें १, २ नहीं अनेकों शुद्धियां करनी पड़ीं। एक तरफ तो हम अपने लोगों को कहते हैं कि हम अंग्रेजी उठाने जा रहे हैं और हिन्दी करने जा रहे हैं। इसलिये हमारे लड़के अंग्रेजी के तरफ कम ध्यान देते हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि अंग्रेजी भी पढ़ना चाहिए इसलिये हमारे लड़के न तो अंग्रेजी ठीक से सीखते हैं और न हिन्दी। अगर हिन्दी, अंग्रेजी का इसी तरह से लटपट चलता रहा तो इसका नतीजा वही होगा जो इंडियन नेशन में निकला था। मेरा विचार है कि सरकार इस बिल पर फिर से विचार करे और कोई दूसरा फैसला ले तो अच्छा हो।

श्री भोला नाथ भगत—अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पेश किया गया है कि हिन्दी में जो काम होगा उसके लिये ३ वर्ष का समय और बढ़ाया जाय इसका मतलब क्या है? पहले जो आफिशियल बिल पास हुआ था कि १९५७ से सारा काम हिन्दी में हो उसका क्या मतलब था? इसका उद्देश्य था कि सरकार के सारे काम आसानी से हों। ब्लौक डेवलपमेन्ट आफिस में या बहुत से कालेजों में सारे काम हिन्दी में हो रहे हैं। आज हम देखते हैं कि कोई भी बिल ड्राफ्ट किया जाता है तो पहले अंग्रेजी में ही किया जाता है और फिर दिमाग को काफी परेशानी देकर तथा शब्दों को तोड़-मरोड़ कर हिन्दी के शब्द बनाये जाते हैं। नतीजा होता है कि बिल को पढ़ने से हमलोग कुछ नहीं समझते हैं और अंग्रेजी के ड्राफ्ट को सामने रखकर मिलाकर पढ़ते हैं तब कहीं समझते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि साइन्स के, इजीनियरिंग के तथा मिलिट्री के शब्दों को हिन्दी में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। डा० रघुवीर के डिक्शनरी (शब्दकोष) को देखने पर भी दिक्कत होती है। मिलिट्रीवालों का कहना है कि मिलिट्री के बहुत से शब्द जो अंग्रेजी में हैं उनका अपना महत्त्व है और उनकी हिन्दी हो नहीं सकती है, जैसी गुरीला सिस्टम (पद्धति)। इसलिये मेरा कहना है कि हिन्दी के विशेषज्ञों को ऐसे शब्दों के लिये आविष्कार करना होगा और तब उसका नामकरण करना होगा।

अध्यक्ष—आप क्या चाहते हैं?

श्री भोलानाथ भगत—मैं इस बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि ३ वर्ष कोई ज्यादा समय नहीं है। हिन्दी में कुछ काम हो रहे हैं लेकिन और भी प्रगति से काम होना चाहिये। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। मानभूम जिले के कुछ हिस्से जो पहले बिहार में थे वहां साइन बोर्ड सड़कों पर हिन्दी में थे लेकिन जब वे हिस्से बंगाल में चले गये तब दो-तीन दिन के बाद ही सभी साइन बोर्ड को बदलकर बंगला में लिख दिया गया। यह तो हमारे देश की लैंग्वेज फैनाटिज्म है। मेरा कहना है कि ओरिजनल बिल (मूल विधेयक) हिन्दी में आवे तभी हिन्दी आफिसियल भाषा हो सकती है। शुरू में दिक्कत होती ही है लेकिन जैसे-जैसे लोग काम करते जायेंगे वैसे-वैसे व्यावहारिक रूप में व्यवस्थित (एडजस्ट) कर लेंगे।

श्रीमती राम सुकुमारी देवी—अध्यक्ष महोदय, अभी जो अमेंडमेंट (संशोधन) इस आफिशिअल लैंग्वेज बिल में करने की बात माननीय मुख्य मंत्री ने लाई है उसका मैं समर्थन करती हूं। हिन्दी के माध्यम से राज्य के सभी काम हों इसलिये उसकी अवधि तीन वर्ष और बढ़े। मैं देखती हूं कि अधिकतर सदस्य के मन में बेचैनी हो गई है लेकिन मैं समझती हूं कि तीन वर्ष की अवधि जो और दी गई है वह बहुत ही उपर्युक्त है, इससे हिन्दी की प्रगति में बाधा नहीं वरन् सहायता पहुंचेगी, अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि जिस तरह से अंग्रेजी में सारे काम किये जाते हैं उसी तरह हिन्दी में भी सहूलियत से काम हों। हमारे राज्य में गुजराती, मराठी, बंगाली सभी तरह के कर्मचारी हैं और कठिन प्रयास के बाद भी हिन्दी में अपना भाव नहीं प्रगट कर सकते हैं। कर्मचारियों को काम करने में कठिनाई होती है। हिन्दी भाषा पर जोर दिया जाता है लेकिन भाषा ही सब कुछ नहीं है। उससे अधिक भाव की प्रधानता होनी चाहिये। अगर केवल हिन्दी मीडियम (माध्यम) से काम हो और सिर्फ ट्रान्सलेशन (अनुवाद) पर निर्भर करें और भाव पर जोर न दें तो वह निरर्थक है। हिन्दी के भाव रहित

वाक्य से हिन्दी साहित्य की प्रगति नहीं होती और न सम्मान होता है। इन दृष्टिकोणों से ऐसा करना बहुत ही उचित है कि तीन साल का समय और हिन्दी की प्रगति के लिये मिल जाता है। इस अवधि के भीतर अधिक से अधिक अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद भाव के आधार पर होना चाहिये, अंग्रेजी के उपयुक्त हिन्दी शब्द हो जायेंगे तो हिन्दी की अत्याधिक उन्नति होगी।

अध्यक्ष महोदय, मुझे सेक्रेटेरियट जाने का कई वार मौका मिला है और मैंने देखा कि हिन्दी के उपयुक्त शब्द न जानने के कारण कर्मचारियों को भाव प्रकाशन में काफी कठिनाई होती है। मैं देखती हूं कि सेंटजेवियर्स के लड़के अंग्रेजी के मीडियम (माध्यम) से ही पढ़ते हैं फिर भी हिन्दी प्रतियोगिता में वहीं का छात्र सर्वप्रथम आया। सामाजिक दृष्टिकोण, साहित्यिक दृष्टिकोण से और नैतिक दृष्टिकोण से भी मैं समझती हूं कि हिन्दी की जो अवधि बढ़ाने की बात है वह बहुत ही उपयुक्त है और ऐसा होना चाहिये। नैतिक इसलिये कि लकीर के फकीर बने रहने से काम ठीक से नहीं होगा। अगर भाव की व्यन्जना हिन्दी में, भाव की एकरूपता हिन्दी और अंग्रेजी में नहीं आती तब तक हिन्दी में सारे राज्य का काम करना ठीक नहीं होगा, अगर किया जायेगा तो असफलता होगी। तीन साल के समय में ऐसी प्रगति हिन्दी की की जाय जिससे राज्य के काम हिन्दी भाषा में आसानी से हो सकें। हिन्दी के पुष्टिकरण के लिये ही यह तीन साल का समय बढ़ाया गया है। इससे हिन्दी को और मजबूत बनाया जा सकता है। मैं समझती हूं कि इससे किसी को एतराज नहीं है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कह देना चाहती हूं कि इस अवधि के बढ़ने से हिन्दी के माध्यम से काम होने में [illegible]लाई न पड़े।

इन्हीं शब्दों के साथ में तीन वर्ष की अवधि का स्वागत करती हूं। इस बिल का मैं स्वागत करती हूं।

श्री रामजनम महतो—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जितनी कठिनाई हो रही है हिन्दी को आफीशियल लैंगुएज (सरकारी भाषा) बनाने में उसकी वजह ट्रान्सलेशन (अनुवाद) करने वालों की गलती से। मालूम होता है कि अनुवाद करने वाले लोग हिन्दी के दुश्मन हैं, ऐसे कठिन शब्दों में अनुवाद करते हैं कि उनका समझना अत्यन्त मुश्किल हो जाता है। मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं। अंग्रेजों ने डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और सबडिवीजन वगैरह बनाया कमिश्नरी के मालिक को कमिश्नर, सबडिवीजन के मालिक को सबडिवीजनल औफिसर और डिस्ट्रिक्ट के मालिक को कलक्टर और अब देखा जाय हिन्दी के विशेषज्ञों ने क्या इनका अनुवाद किया है। डिवीजन को प्रमंडल और ज़िला को मंडल कहा गया।

अध्यक्ष—आप सब नाम बतला गये तो इसमें क्या हर्ज है। पहले तो हमलोगों ने कमिश्नर का नाम याद किया है और कोई कठिनाई नहीं हुई तो अब किसी को क्यों होने लगी।

श्री रामजनम महतो—एस० डी० ओ० को हिन्दी में अवर प्रमंडलाधिकारी कहते हैं और एडिशनल कलक्टर को अवर मंडलाधिकारी कहा जाता है, यह एक आश्चर्य की बात है कि एस० डी० ओ० अवर प्रमंडलाधिकारी रहें और एडिशनल कलक्टर अवर मंडलाधिकारी हों।

अध्यक्ष—आप यह बतलाइये कि तीन वर्ष के अन्दर लोग अच्छी हिन्दी जान जायं।

श्री रामजनम महतो—हम यही कहना चाहते हैं कि तीन वर्ष के अन्दर अच्छा अनुवाद निकाला जाय ताकि सब लोग उसे समझ सकें।

दूसरी बात हिन्दी को कठिन बनानेवाली है—स्वर को नये ढंग से लिखना। अब 'इ' पहले 'अि', 'ई' के पहले 'अी', 'उ' के पहले अु तथा 'ऊ' के पहले 'अू' लिखा जाने लगा है। हम जानते हैं 'अ' में 'इ' और 'ई' के मिलने में 'ए' तथा 'अ' में 'उ', और 'ऊ' के मिलने से ओ होता है ऐसे नये ढंग से स्वरों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे स्वर जटिल होंगे और पुराने पुस्तकों को पढ़ने में लोगों को कठिनाई होंगी। हमारे मित्र जयसवाल जी विदेश से लौटे हैं वे कहते हैं कि कोई भी देश नहीं होगा जहां हिन्दी के ५ या ७ प्रतिशत शब्द नहीं मिलते हों। तो हमको प्रचलित दूसरी भाषा का शब्द लेने में क्या हानि। हमारे यहां तो 'फिट' सुत्रादि है जिससे हम किसी भाषा के किसी शब्द को साध सकते हैं और उसे हमारा व्याकरण आत्मसात कर सकता है।

अध्यक्ष—तो आप क्या चाहते हैं कि हिन्दी में अभी से काम हो या तीन वर्ष के बाद हो।

श्री रामजनम महतो—मैं कहना चाहता हूं कि जो अनुवाद होता है वह बहुत ही क्लिष्ट हिन्दी में होता है और अंग्रेजी के भाव को लेकर हिन्दी अनुवाद किया जाना चाहिये। पर लिटरल अनुवाद किया जाता है। यही कारण है कि इस काम में देरी होती है। बिहार के लोग सभी हिन्दी बोलते और लिखते हैं। उनको हिन्दी में काम करने में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन कठिनाई सिर्फ इसी बात की है कि अनुवाद क्लिष्ट हिन्दी में होता है। और इसको जबतक दूर नहीं किया जायगा कठिनाई और बढ़ती ही जायगी।

अध्यक्ष—तब तो आप कह सकते हैं कि तीन वर्ष की अवधि नहीं रखकर एक वर्ष की अवधि कर दी जाय।

श्री रामजनम महतो—हम कहते हैं कि तीन वर्ष के बाद फिर सरकार की ओर से कहा जा सकता है कि ७ वर्ष तक और बढ़ा दिया जाय। इससे काम नहीं चलेगा। जापान वालों ने अपने यहां एक वर्ष के अन्दर ही जापानी भाषा कायम कर दी। इसलिए यह कहना कि आपके अफसर अभी हिन्दी नहीं सीख पाये हैं ठीक नहीं है। अब रही बात कानूनी भाषा के अनुवाद की। बात वह भी सही नहीं है। अगर आप चाहें तो जनता में प्रचार कर दीजिए कि अमुक-अमुक कानून का जिनका हिन्दी में अनुवाद सब से अच्छा होगा उनको इनाम मिलेगा तो वर्ष भर के भीतर सभी कानूनी पुस्तकों का अनुवाद हो जायगा। इसलिए जो हमारे सामने कठिनाई समय बढ़ाने के बाद उपस्थित होने वाली है उसी की ओर मैंने आपका ध्यान खींचा है। जब बाजार और घर में लोग हिन्दी बोलते हैं तो ऑफिस में हिन्दी में काम करने में उन्हें क्यों कठिनाई होती है। लेकिन जो कठिनाई है वह यही है कि हिन्दी अनुवाद को समझने के लिए अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है।

आजकल जिस प्रकार की हिन्दी आप चला रहे हैं उसको समझने के लिये अंगरेजी का सहारा लेना पड़ता है। प्रिंटिंग (छापाखाना) में भी कुछ दोष है। शीर्षक बनाने का जिस प्रकार अंगरेजी में इटैलिक्स का प्रयोग होता है वैसा कोई इन्तजाम हिन्दी में नहीं है।

*श्री रामानन्द तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त खेद के साथ इस बिल

का विरोध करना पड़ रहा है। विरोध इसलिये करना पड़ रहा है कि इस सूबे के मुख्य मंत्री जो इस सूबे में हिन्दी में काम करने की अवधि को और तीन वर्ष बढ़ाने के लिये समय मांगते हैं। मुख्य मंत्री के संबंध में कहा जाता है कि वे हिन्दी के पंडित हैं। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिये काफी प्रयास किया है। १९३७ में जब पहली मिनिस्ट्री बनी तो दक्षिण हिन्दुस्तान में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने, ऐसे लोगों को जो इसका विरोध करते थे, उन्हें जेल की काली कोठरी में भेजवाया। उनका उस समय कहना था कि हिन्दी ही देश की राष्ट्रभाषा हो और उन्होंने काफी प्रयास भी किया। परन्तु आज उनमें परिवर्त्तन हुआ है, मौलिक परिवर्त्तन हुआ है कि वे आज हिन्दी का विरोध ही नहीं करते बल्कि वे चाहते हैं कि विदेशी भाषा को ही इसपर लादी जाय। अंग्रेजी भाषा ने हमारी संस्कृति, हमारे नैतिक स्तर को नीचे गिराया और राजाजी आज उसी भाषा को लादना चाहते हैं भारतीय जनता पर। आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि राजाजी और उनके कुछ लोग कलकत्ते में इकट्ठे हो रहे हैं और इस उद्देश्य से इकट्ठे हो रहे हैं कि इस देश में हर प्रांत के लिये जो चौदह भाषायें हैं उन्हें रखी जाय और केंद्र में एक ही भाषा अंगरेजी रहे। दक्षिण हिन्दुस्तान के लोग भले ही कह सकते हैं कि हमलोगों को हिन्दी सीखने में विलम्ब होगा, वे समय मांग सकते हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि जहां हमारी पैदाइश भाषा हिन्दी है वहां समय मांगना कभी जायज नहीं होगा। इस राज्य के लिये यह उचित नहीं है कि इस तरह का संशोधन लाया जाय। और बराबर इसकी अवधि बढ़ायी जाय। आपने तो इसपर काफी प्रकाश भी नहीं डाला है। सचिवालय में बैठनेवाले या मुंगेर या शाहाबाद की कचहरियों में बैठनेवाले कितने लोग हैं जिनके कहने पर आप समय बढ़ाने जा रहे हैं। इस देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी हो इसके लिये आपने अथक परिश्रम किया है और फिर बारबार आप समय बढ़ाते जा रहे हैं यह ठीक नहीं है। ऐसा करना राज्य के हक में कभी अच्छा नहीं होगा। अंग्रेजी साम्राज्य में भी अंग्रेजों ने चन्द मुट्ठी भर लोगों को अंग्रेजी सीखा कर इसको प्रचलित किया। और वहां पर जहां के शत प्रतिशत लोग हिन्दी जानते हैं इस तरह का संशोधन लाना कभी उचित नहीं होगा। आपके थोड़े से अफसर दूसरी जगह के बिहार में बैठे हुए हैं और उन्हीं के लिये आप फिर तीन वर्ष की अवधि बढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप देहात के रहनेवाले किसानों और मजदूरों की भलाई चाहते हैं तो ऐसा करने से नहीं होगा। आरा, मुंगेर और पटने की कचहरियों में जो देहात के लोग न्याय के लिये आते हैं उन्हें पग-पग पर अंग्रेजी के चलते परेशानी होती है, पैसा देना पड़ता है। हिन्दी करके आप उनके इस खर्च को बचा सकते थे मगर आप ऐसे कुछ अफसरों के चलते नहीं करना चाहते हैं। इन अफसरों ने जान-बूझ कर हिन्दी नहीं सीखी है और यदि उनके कहने से समय बढ़ाते गये तो १९६० क्या १९९५, १९९९ या २००० में भी ये हिन्दी नहीं सीख सकते हैं। ये अफसर हिन्दी की पीठ में छूरा भोंक रहे हैं, वे नहीं चाहते हैं कि देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी हो। देहात के लोग हर कदम पर हिन्दी मांगते हैं। आज एक वार्डर मेरे यहां आया। उसपर विभागीय कार्रवाई चल रही है। उन्हें वकील ठीक करने में १६ रुपये फीस देने

पड़ेंगे । अगर हिन्दी में ये कारवाई होती तो उन्हें वकील नहीं करने पड़ते हालांकि सुपरिटेंडेंट बिहारी हैं, इसे मैं अच्छा तरह जानता हूं । मैं कहता हूं कि जिस राष्ट्रभाषा के लिये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अथक परिश्रम किया उसको आज इस तरह दबाया जा रहा है । यदि आप किसानों और मजदूरों की भलाई चाहते हैं, जो टूटे-फूटे ि ि ी के शब्द जानते हैं अगर उनकी भलाई करना चाहते हैं तो हिन्दी में जल्द से जल्द काम करें । ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे लिये, आपके लिये, इस सूबे के लिये और सरकार के लिये लज्जा की बात होगी । यहां के करीब-करीब सभी लोग हिन्दी जानते हैं क्योंकि यहां की मातृभाषा हिन्दी है । आप नैतिक स्तर को गिराने में उन अफसरों का समर्थन कर रहे हैं । भारतीय विधान ने भी मान लिया है कि हिन्दी राष्ट्र ाषा हो और अंग्रेजी में है । फिर भी इतना विरोध हो रहा है । आप कहते हैं कि हमारे अफसर हिन्दी नहीं जानते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे अफसरों की संख्या थोड़ी है। यदि वे आई० सी० एस० या आई० ए० एस० हैं तो उन्हें भी हिन्दी, अंग्रेजी और बंगला वगैरह भाषा जानना अनिवार्य रहता है तो यह कहना है कि वे हिन्दी नहीं जानते हैं, असंगत है । अंग्रेजी राज्य में भी इन्हें इन सब भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य था तो आज वे क्यों नहीं हिन्दी जानते हैं ? अगर वे नहीं जानते हैं तो उन्हें हटाकर आप अपने यहां के लड़के को जो कालेज से एम० ए० और बी० ए० करके निकलते हैं, उन्हें रखिए वे हिन्दी में इस सूबे का काम करेंगे । जो प्रचलित अंग्रेजी के शब्द हैं उन्हें आप रखिए । राजाजी कहते हैं कि साइंस पढ़ाने के लिए हमारे पास हिन्दी के शब्द नहीं हैं तो मैं पूछता हूं कि इतने दिनों तक आपने क्या किया कि आज इस तरह की बात कहते हैं ? आप साइंस के लिये भी शब्द निकालें और हिन्दी में काम करें । जबसे देश आजाद हुआ है आपने जिस तरह "प्रतीक्षालय" तथा अन्यान्य शब्द निकाले हैं उसी तरह के इसके लिये भी आपको निकालना चाहिये था । ऐसे शब्द आपने हिन्दी में बना दिए जिनको बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते । तो आपने ऐसी चीजें बना दीं जिनकी आवश्यकता नहीं थी। आपके पास बड़े-बड़े हिन्दीके विद्वान हैं । किन लोगों के हाथ में आपने सौंपा था...... ?

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं है । शब्द तो हैं ।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आगे चलकर यह कहा गया है कि शब्द का अनुवाद नहीं है। तो मेरा कहना है कि हिन्दी में अच्छे से अच्छे शब्द हैं। आज इस देश में १८ करोड़ लोग हिन्दी बोलते हैं । यह बड़े दुख की बात है कि एक माननीय सदस्या, श्रीमती सुकुमारी देवी ने इस बिल की सिफारिश इसलिए की कि अफसर अभी हिन्दी नहीं जानते हैं । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि उन्होंने हिन्दी क्यों नहीं जानने की कोशिश की ? अध्यक्ष महोदय, मुझको दुख है कि इस सरकार के चलाने वाले वे हैं जो सचिवालय के अफसर हैं..... ।

अध्यक्ष—स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एन्ड रिजन्स में यह नहीं लिखा गया है कि शब्द नहीं है ।

श्री रामानन्द तिवारी—वही तो मैं कह रहा हूं कि शब्द अगर हमारे पास नहीं हों तो हिन्दी के अच्छे से अच्छे विद्वान हमारे पास हैं और अच्छे से अच्छे शब्द हमको

मिल सकते हैं। हमारे बेनीपुरी जी हैं, इनको दीजिए यह काम। इस लिए जब इस
राज्य की सारी जनता हिन्दी भाषी है और चाहती है कि यहां की राज्य भाषा हिन्दी
हो तो मैं इस बिल का विरोध करता हूं और मुख्य मंत्री जी से नम्रतापूर्वक निवेदन
करना चाहता हूं कि एक क्षण भी अब अंग्रेजी भाषा यहां नहीं रहे और हिन्दी अविलंब
हो। अंग्रेजी और हिन्दी की हालत यह है, अध्यक्ष महोदय, कि आई० ए० (सेकेंड ईयर)
का एक लड़का था और वहां प्रोफेसर मौजूद थे, उस लड़के से अंग्रेजी के एक शब्द की
हिन्दी पूछी गई लेकिन वह नहीं बता सका। जब हमारे लड़के जानते हैं कि वे आई०
ए० एस० और आई० पी० एस० बिना अंग्रेजी के ज्ञान के नहीं हो सकते हैं तो उनको
रुचि हिन्दी की तरफ से हटती जाती है। तो मेरा कहना है कि आप उनको त्रिशंकू
की तरह लटका कर रख दिया है। उस दिन बंगाल के एक पंडित, विद्वान ने कहा
था कि हिन्दी भाषा में अगर कोई कमी है तो उसको हम पूरा करेंगे। बंगाल का वह
विद्वान जो हिन्दी भाषी नहीं है वह जब इस तरह हिन्दी के लिए वकालत करता है तो
आप यहां ऐसी बातें करते हैं जिससे राजा जी का हाथ मजबूत हो जो १९६५ तक
अंग्रेजी को रखना चाहते हैं। जो कहते हैं कि अभी अंग्रेजी २५ वर्ष तक रहने दिया
जाय। इस तरह आप एक, दो और तीन वर्ष की अवधि मांगते रहे और तीन वर्ष
की अवधि जब खत्म हो जायेगी। तो फिर इस अवधि को बढ़ाने के लिए कहेंगे।
तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि उस जनता के नाम पर जिसको एक तार और
मनिआर्डर लिखाने और पढ़ाने के लिए पैसा देना पड़ता है उसके नाम पर मैं आपसे
निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी को अविलंब अंग्रेजी की जगह इस प्रांत में लागू
किया जाय। और अंग्रेजी के जाननेवाले यहां हैं ही कितने? अंग्रेजी में बिल आता
है तो उसको समझने के लिए हमको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। हम किसी
कालेज के विद्यार्थी की शरण लेते हैं।

अध्यक्ष—हम बिल का अनुवाद हिन्दी में भी देते हैं।

श्री रामानन्द तिवारी—लेकिन होता यह है कि जब मैंने आपसे कभी कहा है कि
हिन्दी में किस तरह भाषा है तो आपने अंग्रेजी में जो था, उसको बताया और वही
माना जाता है।

अध्यक्ष—यह तो सब भाषा में हो सकता है।

श्री रामानन्द तिवारी—इसी लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि एक दिन की अवधि
भी बढ़ाना अनावश्यक है और सरकार और देश के लिए यह कदापि अभिमान और
गौरव की बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु—अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में माननीय मुख्य मंत्री
महोदय ने आफिशियल लैंग्वेज ऐक्ट के संबंध में एक संशोधीय विधेयक उपस्थित किया
है जिसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मैं यह स्पष्टरूप से कह देना चाहता हूं कि
सदन के जिन सहयोगी सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है और कुछ उद्‌गारियां पेश
की उनमें कुछ तथ्य भी है और मैं उन तथ्यों के संबंध में सरकार और विशेषतः मुख्य
मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। वह इसलिए कि आरंभ से ही जब से
हिन्दी बिहार को राज्य भाषा घोषित हुई तभी से उन्होंने इस विषय में बहुत ध्यान

रखा है । इस बिल के संबंध में अब शुरूशुरू में बातें हुई सन् १९५० ई० में और आखिरी अधिवेशन के समय, तो सरकार ने केवल पांच वर्ष का ही समय इस बिल में रखने का विचार किया था । उस समय हमारे कुछ मित्र जो हिन्दी नहीं जानते थे या कम जानते थे उन्होंने मुख्य मंत्री के पास यह विचार पेश किया कि हम लोगों को कठिनाई होगी इसलिए १० वर्ष का समय इस बिल में रखा जाय । मुख्य मंत्री पर राजी नहीं हुए और दोनों दलों के लोगों से मिल कर यह विचार हुआ, और जो मुसलमान हिन्दी नहीं जानते थे या कम जानते थे और इस प्रकार के कुछ बंगाली भाई भी थे जो हिन्दी कम जानते थे या नहीं जानते थे उन लोगों के विचार से यह तय हुआ कि ७ वर्ष की अवधि रखी जाय और यह ऐक्ट उस रूप में पास हुआ । सरकार की ओर से भी विज्ञप्तियां निकलीं और काम आगे बढ़ने लगा । इस सिलसिले में मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर बराबर रहा है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस पर अधिक ध्यान दिया जाता और अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग भी इस ओर ज्यादा ध्यान देते तो आज इस संशोधीय विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़ती । लेकिन ऐसा नहीं हो सका । इसके अनेक कारण है । अंत में यह विचार हुआ कि जब तक अपना टाइपराइटर नहीं हो तब तक यह काम नहीं हो सकता । केवल इसी काम में ५ वर्ष का समय देना पड़ा । विदेश से टाइपराइटर मंगाये गये । अभी सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि तीन प्रधान कठिनाइयां तीन वर्ष की अवधि बढ़ाने के संबंध में है । पहला कारण तो यह है कि जितने हमारे अधिकारी हैं उन्होंने अभी तक हिन्दी अच्छी तरह से नहीं सीखी है । दूसरा कारण यह है कि टाइपीस्ट और स्टेनोग्राफर हिन्दी के जानने वाले अभी नहीं है । और तीसरा कारण यह बताया जाता है कि जबतक टेकनिकल वड्‌स जो पारिभाषिक शब्द हैं, बन नहीं जाते तबतक हमारी कठिनाई रह जाती है । तो ७ वर्ष की अवधि इन सब कामों के लिए आवश्यक समझा गया ।

जिस तेजी के साथ इसका काम चल रहा था, मुझे खेद के साथ यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि उस तेजी के साथ अब इसका काम नहीं हो रहा है । इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि सरकारी अधिकारियों में यह भावना कहीं न फैल जाय कि जिस तरह से ७ वर्ष की अवधि और तीन वर्ष के लिये बढ़ायी गयी है उसी तरह से फिर इस अवधि को भी बढ़ाया जायगा और इस तरह से जो भी काम इस दिशा में हो रहा है उसमें भी शिथिलता न आ जाय । उनको यह स्पष्ट आदेश देना चाहिये कि अब अवधि न बढ़ायी जायगी। इस अवधि के भीतर ही इसका काम अधिक से अधिक हो जाय, इसका उन्हें प्रयत्न करना चाहिये ।

एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । सरकार की ओर से यह निर्णय किया गया है कि पहली जनवरी, १९५८ से जो भी नये विधेयक इस सदन के सामने लाये जायेंगे उनका मूल हिन्दी में होगा जो कुछ पुराने विधेयक हैं उनमें संशोधन करने के लिये बिल अंग्रेजी में लाये जायेंगे लेकिन नये विधेयक हिन्दी में ही उपस्थित किये जायेंगे । मेरा अनुरोध है कि इस अवधि बढ़ाने के पीछे इस निर्णय की अवधि न बढ़ायी जाय। हिन्दी में विधेयक के पेश होने से सरकारी अधिकारियों को हिन्दी का इससे प्रशिक्षण का एक अच्छा मौका मिल जायेगा। मैं यह जानता हूं कि जो अवधि बढ़ायी जा रही है वह परिस्थिति से लाचार हो कर बढ़ायी जा रही है । मैं यह जानता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री के हृदय में हिन्दी के लिये एक खास स्थान है और वे इसके महत्व को खूब अच्छी तरह से जानते हैं और हिन्दी को प्रोत्साहित करने में वे किसी से भी पीछे नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके सामने कुछ

ऐसी कठिनाइयां आ खड़ी हुई हैं जिनसे उनको इसकी अवधि बढ़ानी पड़ी है। जमीन और हवा में तैरना एक दूसरी बात है लेकिन पानी में तैरना ही असली काम है और जब आदमी पानी में तैरने के लिये जाता है तभी दम घुट कर मरने का भय होता है। ऐसी परिस्थिति के आने से ही इस अवधि को बढ़ाने का अवसर आया है जब कि दम घुट कर मरने का खतरा महसूस हुआ। अभी हिन्दी का काम तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है और दूसरे मंत्री लोगों को भी जिस तेजी से इसका काम आगे बढ़ाना चाहिये था उस तेजी के साथ वे इसका काम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इसलिये हमारे मुख्य मंत्री का ध्यान इस तरफ भी जाना चाहिये जिसमें इसका काम आगे बढ़े। अगर सरकार चाहती तो इस ७ वर्ष की अवधि में इसका काम बहुत कुछ आगे बढ़ सकता। बिहार एक हिन्दी भाषा-भाषी राज्य है और यहां पर तो हिन्दी से काम शुरू करने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिये। जहां की भाषा हिन्दी नहीं है वहां पर भले ही इसका विरोध हो लेकिन यहां पर तो इसका विरोध होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब अहिन्दी भाषाभाषी राज्यों की सरकारों की तरफ से यह आवाज उठायी जाती तो उसका जवाब दूसरे प्लैटफौर्म से दिया जा सकता है लेकिन भारतीय संविधान में जो १५ वर्ष की अवधि इसके लिये रखी गयी है वह बिहार के लिये तो बहुत ज्यादा समय है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर बिहार के लिये ७ वर्ष का समय रखा गया था लेकिन व्यवहारिक रूप में कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाई हुई और इसको लेकर हमारी सरकार के आलोचक जरूरत से ज्यादा लाभ उठाना चाहते हैं।

एक बात और यह कहनी है कि हमारे मुख्य मंत्री ने आदेश दिया था कि कुछ विभागों का काम पहली जुलाई से पूर्णतः हिन्दी में हो। इन विभागों से बहुत कुछ कागजात हिन्दी में आने लगे थे लेकिन अवधि बढ़ाने की बात से इनके कामों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं आनी चाहिये। मैं यह मानता हूं कि पूर्णतः काम करने में अभी कुछ कठिनाई है लेकिन प्रयत्न करने पर यह कठिनाई दूर हो सकती है। हमारे असेम्बली के सदस्य या मिनिस्टर के लिये तो कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है, हमारे बहुत से सदस्य लोअर या इससे भी कम पढ़े लिखे हैं लेकिन हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिये मैट्रिक, आई० ए०, बी० ए० या कोई टेकनिकल क्वालिफिकेशन (योग्यता) निर्धारित है और वे पढ़े-लिखे लोग होते हैं। ऐसी हालत में जब कि हमारी मातृभाषा हिन्दी है, उनके लिये हिन्दी में काम करना कोई कठिन बात नहीं है। अगर कहीं पर कोई कठिनाई आवे तो वे हिन्दीलिपि में ही अंग्रेजी शब्द का व्यवहार कर अपना काम मजे में चला सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो टेकनिकल शब्द को लेकर आज क्या आज से २५ वर्ष बाद भी यही कठिनाई आवेगी और दो-तीन पीढ़ी बाद ही यह निश्चितरूप से तय हो सकता है कि किस शब्द के लिये कौन सा हिन्दी शब्द उपयुक्त हो सकता है और उसका उचित व्यवहार हो सकता है। ऐसी हालत में टेकनिकल शब्द को लेकर हिन्दी में काम करने से रोकना हमारे जानते ठीक नहीं है। नागरी लिपि में ही टेकनिकल शब्द को लिख कर हमारे अधिकारी लोग अपना नोट दे सकते हैं।

दूसरी बात यह कही जाती है कि जो अंग्रेजी के शब्द बहुत ही प्रचलित हो गये हैं उनको हिन्दी में स्थान नहीं दिया जा रहा है। सामान्य व्यवहार में तो अंग्रेजी शब्द को हिन्दी के डिक्शनरी (शब्दकोष) में स्थान है ही जिस प्रकार अंग्रेजी डिक्शनरी (शब्दकोष) में राजा, शिकार और जंगल आदि शब्दों के लिये स्थान है लेकिन यह तो भाषा की संपत्ति मानी जाती है। उसका व्यवहार ज्यादातर नहीं होता है। जीविकोपार्जन के लिये तो हरएक भाषा में दो-चार शब्द होते हैं और उन्हीं का ज्यादा प्रयोग

होता है। लेकिन दार्शनिक या वैज्ञानिक पुस्तक के लिये ज्यादा से ज्यादा शब्दों की आवश्यकता पड़ती है और तभी डिक्शनरी (शब्दकोष) से सहायता ली जाती है। अंग्रेजी डिक्शनरी (शब्दकोष) में राजा, जंगल और शिकार शब्द के रहते हुए भी कोई भी अंग्रेज इंगलैंड में यह नहीं कह सकता है कि दी राजा वेंट टू दी जंगल फौर शिकार और कोई भी अंग्रेज इस तरह बोलना पसंद भी नहीं करेगा इसलिये डिक्शनरी (शब्दकोष) के लिये कुछ भले ही शब्द हैं लेकिन व्यवहार के लिये दूसरी तरह के शब्द होते हैं। हमारे कहने का यह मतलब नहीं है कि दूसरी भाषा के प्रचलित शब्दों का हम प्रयोग न करें, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का धरल्ले से व्यवहार होना चाहिये लेकिन फिर भी इनके लिये हिन्दी का भी शब्द रहना चाहिये। दूसरी भाषा के शब्द भाषा की संपत्ति होते हैं लेकिन उन शब्दों की जगह पर दूसरे शब्दों को गढ़ना ही पड़ता है और बनाना ही पड़ता है। हमारे शास्त्रों में तो बहुत से शब्द हैं लेकिन आज वे प्रायः अप्रचलित हो गये हैं और उनका व्यवहार आज की बोली में प्रायः नहीं के बराबर होता है। अब यह कहा जाता है कि वे शब्द बहुत ही कठिन हैं।

किसी भी भाषा के जानने वाले लोग जानते हैं कि कोई भी शब्द सरल और कठिन होता है उसके व्यवहार पर। जिन शब्दों का व्यवहार अधिक होता है वह सरल मालूम होता है और जिन शब्दों का व्यवहार कम होता है वह कठिन मालूम होता है। आपको हिन्दी कोष में बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका व्यवहार नहीं होता है। सिर्फ दो तीन अक्षर का वह शब्द है लेकिन व्यवहार में नहीं आने के कारण वही शब्द कठिन मालूम होता है। तो सरल और कठिन का होना व्यवहार पक्ष पर निर्भर करता है। मैं सदन के सदस्यों से अनरोध करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो तीन वर्ष की अवधि बढ़ाने का समय मांगा है उसे मान लें, लेकिन वे अपने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से आदेश दें कि वे तीन वर्ष तक चुपचाप बैठे नहीं रहें और इसका व्यवहार राज्य कार्य में नहीं करें, बल्कि मैं चाहता हूं कि १, १½ वर्ष के भीतर ही बिहार में राज्य का कार्य हिन्दी में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चले जिससे तीन वर्ष में सारा कार्य हिन्दी में होने लग जाय। इतना ही मेरा कहना है।

Mrs. ELSIE AUGIER : Mr. Speaker, Sir, I wish to support the Bill moved by the Hon'ble the Chief Minister. I would straightway plunge into the discussion by appealing to the hon'ble members to take a more kind heated view of things, and not to treat English as some kind of a serpent which is intent on doing some kind of harm to our country. Why discard the instrument which has perhaps been more helpful than any other to win our cherished freedom. Beginning with the father of our nation, Mahatma Gandhi, we could name dozens of our glorious leaders, who owe their very ability to co-operate with each other through the medium of English given to them by the foreign ruler. This enabled them to form the Indian National Congress through which they fought in all parts of India the common battle which won us the freedom we prize today. It has given to men of all parts of the Country a common platform to ventilate their grievances and to express their views on all matters of impartance. It has.......

SPEAKER : The hon'ble member is not very audible.

Mrs. ELSIE AUGIER : I shall try to be audible, Sir. It has, I mean the English languane, has thrown upon to us the

treasures of English literature which is so full of that love and esteem for freedom. Through this language only such treasures could reach us.

SPEAKER : The hon'ble member should know that we are not going to revert to English now. The Bill before the House is only for the purpose of extending the time-limit by three years. The hon'ble member should only confine herself to whether she wants to support or oppose the Bill.

Mrs. ELSIE AUGIER : Sir, I want to support the Bill under consideration. I want that the time-limit should be extended to to help the work. At the moment we want to use all our efforts towards accelerating the implementation of the Five-Year Plan and things like that. We will not be keeping in step with other States. I would ask the House to take a more rational view of the matter. The only reason that appears to me to be the consideration in abusing English is just prejudice and an exaggerated sense of nationalism. It is this which frawns on all things foreign. If we have to discard the language that is foreign, there are lots of other things which should also be rejected. Our money is going out of the Country every day in the purchase of things like motor cars watches, telephone apparatus, etc., but we keep them because we know they help in the advancement of the country, so why not English ? It costs us nothing.

SPEAKER : The hon'ble member is drifting into irrelevancy. You may have your own views and no body is going to question them. But the point under issue is wehther or not an extension of three year's time be allowed to Government.

Mrs. ELSIE AUGIER : I shall not take more time of the House, Sir. But I think that what I am saying has a bearing on the subject, direct or indirect. What I want to impress upon the House through you, Sir, is that if the treasures of science by which we can bring about material welfare are to be utilised through the English language, then why discard it out of sheer prejudice ? What Latin was in the middle ages what French has been for centuries in Europe English is to the world today.

With these words, Sir, I resume my seat.

*श्री इगनेस कुजुर—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो बिल इस हाउस (सदन) में प्रस्तुत है उस पर मैं खड़ा होकर कोई राय नहीं देना चाहता हूं लेकिन मेरा जो अपना विचार है उसको मैं कह देना चाहता हूं। इस बिल पर जितने माननीय सदस्य अपने विचार दे रहे थे उसको मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैंने

पाया कि इस बिल पर कुछ सदस्य तो विरोध करते हैं और कुछ सदस्य समर्थन भी करते हैं। कुछ लोगों का कहना यह था कि यही एक प्रान्त है जहां की मातृभाषा हिन्दी है।

अध्यक्ष—"यही एक प्रान्त है" ऐसा किसी माननीय सदस्य ने नहीं कहा।

श्री इगनस कुजुर—माननीय सदस्य श्री रामानन्द सिंह और श्री रामानन्द तिवारी ने तो ऐसा ही कहा है।

अध्यक्ष—उनके कहने का मतलब यह नहीं था कि "यही एक प्रान्त है"।

श्री इगनेस कुजर—अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहता हूं कि हिन्दी राज्य भाषा नहीं हो। मैं भी हिन्दुस्तान का ही रहने वाला हूं हिन्दुस्तान की सरकार ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान लिया है और मैं भी चाहता हूं कि हिन्दी ही यहां राज्यभाषा हो। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि बिहार के हरएक आदमी हिन्दी के असली प्रेमी हैं और अंग्रेजी लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आपको इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि बिहार में ४० लाख आदमी ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है।

मैं कहता हूं कि हिन्दी हमारी भाषा नहीं थी। आपकी सरकार होने के पहले जो सरकारी भाषा थी उसी भाषा में मैं कुछ समझ बूझ सकता था और आपके सरकारी नौकर भी जो हैं वे अभी भी उसी भाषा को समझते-बूझते हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा जिसको मैं भी मानता हूं कि भाषा में आसान और हलके शब्द का व्यवहार नहीं किया जाता है बल्कि कठिन शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है। आज ऐसे शब्दों को हमें समझाया जा रहा है और सुनाया जा रहा है जिसको मैंने कभी सुना ही नहीं। अभी एक दूसरे माननीय सदस्य ने बतलाया जिन्हें आपने रोक दिया कि मंडलाधिकारी, प्रमंडलाधिकारी वगैरह-वगैरह क्या चीज है। उन्हें सुनकर थोड़ा बहुत अब मेरी समझ में आ रहा था उसको भी आपने रोक दिया। (हंसी) बात यह है कि मैं चाहता तो हूं कि अंग्रेजी चली जाय और हिन्दी राष्ट्रभाषा हो जाय ....

अध्यक्ष—हमें खुशी है कि आप अच्छी हिन्दी बोल रहे हैं। (हंसी)।

श्री इगनेस कुजुर—हिन्दी अच्छी बोल तो रहा हूं लेकिन मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं है। बिहार प्रान्त में ४० लाख ऐसे लोग है जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है इसलिए जरा उनको भी तो सीख लेने दीजिये, आपका समय भागा नहीं जा रहा है। जैसा आप चाहते हैं बनो लीजियेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं चाहता कि हिन्दी यहां की राष्ट्रभाषा नहीं हो, मैं कभी भी यह नहीं चाहूंगा, लेकिन इसके लिये समय की जरूरत है। विरोध करने वाले और समर्थन करने वाले सभी भाई चाहते हैं कि हिन्दी हमारी भाषा हो, यहां अगर हिन्दी भाषा नहीं होगी तो कहां होगी। लेकिन साथ

ही साथ में सदन में आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि आप यह नहीं भूलें कि आपके राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिन्दी नहीं जानते हैं। इसलिये आप जबरदस्ती हिन्दी नहीं लादें। दक्षिण में राजाजी का भी यही कहना है कि जबरदस्ती हिन्दी नहीं ठूसें और हमारे श्री जवाहर लाल नेहरू ने भी अपनी पार्टी मीटिंग में कहा है कि हिन्दी करना है तो सहयोग से कीजिये, समय भागा नहीं जा रहा है। मेरा भी आपसे यही अनरोध है यह कह कर मैं बैठ जाता हूं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार लैंग्वेज (अमेन्डमेन्ट) बिल जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सदन में उपस्थित किया गया है, उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आश्चर्य का विषय है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जो हिन्दी भाषा के प्रेमी रहते आए हैं, जो हिन्दी की प्रगति चाहते हैं और सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात यह है कि हमारे श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु जो हिन्दी भाषा के विद्वान् हैं और हिन्दी की प्रगति के लिए रात-दिन सभी तरह का प्रयास करते हैं वे इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। आपने जैसा देखा होगा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, तीन साल की अवधि बढ़ाने के लिए, उसके तीन कारण बताए गए हैं। मैं इस लिए विरोध कर रहा हूं कि उनके समर्थन को सही नहीं मानता हूं। विधेयक में तीन कारण बताए गए हैं। प्रथम यह है कि जो हमारे अफसर्स हैं और जो उनके सहायक हैं वे दक्षतापूर्वक तेजी से नोट को या मसविदा को तैयार नहीं कर सकते हैं, दूसरा कारण यह है कि हाईकोर्ट भी इस पक्ष में नहीं है कि कचहरियों में हिन्दी को १९५७ से २६ नवम्बर के बाद तुरत लागू कर दिया जाय, तीसरा कारण यह बताया गया है कि जो रूल्स, मैनुअल्स, कोड्स, रेगुलेसन्स हैं उनका अनुवाद हिन्दी में नहीं हो पाया है। ये कारण यद्यपि दिखाए गए हैं अवधि की वृद्धि के लिए लेकिन ये कठिनाइयां उपस्थित नहीं हो सकती थीं अगर हिन्दी की प्रगति के लिए और हिन्दी को २६ नवम्बर १९५७ के बाद से लागू करने के लिए विशेष रूप से प्रयास किया गया होता? आप जानते हैं कि बिहार लैंग्वेज ऐक्ट १९५० में पास हुआ। सात वर्ष समाप्त होने जा रहा है। इस सात वर्ष की अवधि को कोई भी माननीय सदस्य खड़े होकर कहें कि क्या कम थी? सात वर्ष काफी नहीं है। इस लम्बी अवधि में नोट तैयार करने की, मसविदा तैयार करने की जो क्षमता होनी चाहिए थी, जो दक्षता होनी चाहिए थी, नहीं प्राप्त हो सकी। अगर इस तरह की बात आप कहें तो यह अनुपयुक्त बात मालूम होती है।

अध्यक्ष—अगर वस्तुस्थिति यही हो तब?

श्री कर्पूरी ठाकुर—आपको मानना पड़ेगा कि सात वर्ष की अवधि एक लम्बी अवधि है। अगर सरकार को 'सेन्स आफ अरजेन्सी' होती, अगर सरकार इसके लिए सचेष्ट रहती कि यह हमारा काम है और इसे हर हालत में करना है और अगर सरकार अपने अफसरों को, सहायकों को या मददगारों को तैयार किए होती तो आज जो वस्तु स्थिति है वह नहीं होने पाती। मैं ऐसा भी मान रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति संकल्प कर ले कि अमुक काम को हमें सम्पादन करना है और सम्पादन नहीं कर पावे तो यह उसकी मानसिक कमजोरी है, उसके दौर्बल्य होने की

निशानी है। यह माना जायगा कि वह व्यक्ति कमजोर है। ठीक उसी तरह अगर सरकार ने निश्चय करके सात वर्ष की अवधि मांगी इस प्रान्त की जनता से, इस सदन से और उसके बाद इस लम्बी अवधि में भी नहीं पूरा कर पावे तो सरकार के दिल की कमजोरी मानी जायगी। मुझे याद है और आपलोगों को भी याद होगा कि कई बार इस सदन में इस संबंध में प्रश्न उपस्थित किए गए। कई बार सवाल पूछे गए हैं कि बहुत से टाइपिस्ट हैं, बहुत से लोग हिन्दी भाषा जानने वाले हैं उनकी बहाली क्यों नहीं होती है तो कहा गया कि वे हिन्दी में टाइप करना जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में नहीं।

हिन्दी के जाननेवाले लोग तैयार होकर बैठे हैं, आज उनकी बहाली नहीं हो रही है क्योंकि वे अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पर, ऐसा क्यों नहीं किया जाय कि उनके साथ भी नियम लागू कर दिया जाय जैसा कि अंग्रेजी वालों के साथ है। जिस तरह अंग्रेजी वालों को हिन्दी की शिक्षा देते हैं वैसी ही शिक्षा हिन्दी वालों को भी दी जाय। मैं मानता हूं कि जो जो सहुलियत चाहिए थी सरकार से इस दिशा में, जो प्रयास करना चाहिए था सरकार के द्वारा नहीं किया गया और हमें भय है कि तीन साल के बाद भी राष्ट्रभाषा हिन्दी हो सकेगी। जैसा कि मेरे मित्र श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कहा कि आप तीन वर्ष की अवधि मांग रहे हैं पर ऐसा करने से आपका प्रयास शिथिल पड़ जायगा क्योंकि अपने देश के अन्दर हिन्दी राष्ट्रभाषा हो इसके लिए बहुत से आन्दोलन चल रहे हैं। इसके लिए एक लम्बी अवधि मांगी जा रही है। बहुत जगह इस तरह का भी आन्दोलन चल रहा है कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा नहीं बनाया जाय और अगर माना जाय तो अंग्रेजी को लम्बी अवधि तक रखा जाय। जो तेलगू या मलयालम भाषा-भाषी हैं वे इस बात को कहें तो मैं मान सकता हूं। महाराष्ट्र या गजराती भाषा-भाषी हैं उनका इस भाषा से विरोध नहीं है, जो बंगला बोलनेवाले हैं या मद्रासी हैं उनलोगों का विरोध है और उनलोगों के लिए कोई उपाय निकाला जा सकता है। हिन्दी किस तरह सिखायी जाय, किस तरह उनलोगों में भी हिन्दी के प्रति प्रेम जागृत किया जाय, किस तरह से मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करके उनका मानस इस ओर तैयार किया जाय कि लोग राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को बना लें। लेकिन जब हिन्दी बिहार की मातृभाषा है, यहां ४ करोड़ २५ लाख की आबादी है जिसमें कुछ ही लाख लोग हैं जो हिन्दी नहीं बोलनेवाले हैं। जब सारे बिहार की मातृभाषा हिन्दी हो, तो मैं कोई कारण नहीं समझ पाता कि विशेष प्रयास करके क्यों नहीं राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को रख पाते। मैं नहीं समझता कि जो कारण उपस्थित किए गए हैं, रूल्स मैनुअल्स के अनुवाद के संबंध में वे जायज हैं। २६ नवम्बर को हिन्दी में सब काम चला करके अनुवाद का काम दो-चार महीने में पूरा किया जा सकता था। हाईकोर्ट को कुछ दिनों के लिए छोड़ दे सकते थे लेकिन सभी विभागों के लिए, कोर्ट, कचहरियों के लिए, सभी के लिए रेगुलेशन, कोड और मैनुअल्स के नाम पर तीन वर्ष का समय लेना मैं समझता हूं कि हिन्दी के प्रति न्याय नहीं है। उस सरकार के लिए जिस सरकार के लोगों ने हिन्दी के लिए अपने जीवन में संघर्ष किया है और बराबर हिन्दी में ही अपने विचारों का व्यवहार किया, है, राष्ट्रीयता के लिए राष्ट्रभाषा को अनिवार्य माना है। जिन्होंने २६ जनवरी को प्रतिज्ञा ली है कि अंग्रेजी सरकार ने हमारी संस्कृति को विनाश किया है। जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया था कि अंग्रेजों ने हमारी राजनीति को, संस्कृति को और स्वतंत्रता को विनाश किया है और यह समझ कर अंग्रेजी राज्य को यहां से

उखाड़ फेंका, उनके लिए यह तीन वर्ष की अवधि बढ़ाने की बात नहीं जंचती है। यह बताता है कि सरकार में सेन्स आफ अरजेन्सी नहीं है, जो संकल्प करती है उसको पूरा नहीं कर पाती है। सिद्धान्त के रूप को मान कर बिहार की आवश्यक मांग को मान कर इस तरह का बिल नहीं लाना चाहिए था इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं और चाहता हूं कि सदन भी इसका विरोध करे और सरकार से आग्रह करे कि वह अपनी प्रतिज्ञा को जैसा कि १९५० में निर्देश दिया था कि २९ नवम्बर १९५७ से हिन्दी में काम होंगे, आचरण करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

सभा मंगलवार, दिनांक १२ नवम्बर १९५७ को १२ बजे दिन तक स्थगित की गयी।

इनायतुर रहमान,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

पटना, तिथि ११ नवम्बर १९५७।

बि०स०मु० (एल० ए०) २९४ए०-मोनो—८७१-२५-८-२-१९५७—ए०तीगा वगैरह